रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 798] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 28, 2014/चैत्र 7, 1936
No. 798] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 28, 2014/CHAITRA 7, 1936

India.Code

## सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2014

**का. आ. 964(अ).**— यतः राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) की धारा 8 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ 2980 (अ) तारीख 21 दिसम्बर, 2012 द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त खण्ड" संदर्भित किया गया है) के 192.000
कि.मी. से 198.000 कि.मी. तक के क्षेत्र में वर्ष 1997 और 2000 में जादेष्वर में नर्मदा नदी पर बनाए गए पुलों का उपयोग करने के लिए इसकी अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों और वाहनों की श्रेणी पर, यांत्रिक वाहनों पर शुल्क उद्ग्रहीत और संग्रहीत करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्राधिकरण" संदर्भित किया गया है) को प्राधिकृत किया था।

और यतः, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, (1988 का 68) की धारा 14 के प्रावधान के अनुसरण में प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–V के अधीन डीबीएफओटी (टोल) के आधार पर गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर नए चार लेन के अतिरिक्त डोज पुल के निर्माण सहित रारा–8 अर्थात् उक्त खण्ड के वड़ोदरा–सुरत खण्ड के बीच 192.000 कि.मी. से 198.000 कि.मी. तक छह लेन बनाने की परियोजना के लिए मैसर्स नर्मदा ब्रिज टोलवे लिमिटेड, मुम्बई (जिसे इसमें इसके पश्चात् "रियायतग्राही" के रूप में संदर्भित किया गया है), के साथ 23 जुलाई, 2012 को एक करार (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त करार" के रूप में संदर्भित किया गया है) किया था।

और यतः राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम 2008, के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 485 (अ) तारीख 27 फरवरी, 2013 (अधिसूचना संख्या का.आ. 2980 (अ) तारीख 21 दिसम्बर, 2012 का अधिक्रमण करते हुए) के द्वारा रियायतग्राही को वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख को और उस तारीख से, समापन की तारीख तक उक्त खण्ड के उपयोग के लिए यांत्रिक वाहनों पर शुल्क उद्ग्रहीत और संग्रहीत करने हेतु प्राधिकृत करती है।

और यतः विद्यमान नर्मदा पुल के पुनरुद्धार कार्य हेतु और बाद में दिनांक 23 जुलाई, 2012 के करार को समाप्त करने के लिए प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच दिनांक 17 जुलाई, 2013 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे।

और यतः सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने दिनांक 20 जनवरी, 2014 के पत्र संख्या एच–39011/32/2013–पी एण्ड पी (टोल) द्वारा प्राधिकरण से नर्मदा नदी पर पुराने पुलों पर प्रयोक्ता शुल्क के उद्ग्रहण को रोकने के लिए अधिसूचना जारी करने की कार्रवाई करने का अनुरोध किया था ।

और यतः वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख घोषित नहीं की गई थी और आपसी सहमति के आधार पर प्राधिकरण

द्वारा 23 जुलाई, 2012 के करार को 7 फरवरी, 2014 को समाप्त कर दिया गया है।

अतः अब समय–समय पर यथा–संशोधित राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008, के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा दिनांक 27 फरवरी, 2013 की अधिसूचना संख्या का.आ. 485 (अ) को रद्द करती है।

[फा. सं. भाराराप्रा/13013/722/12–13/सीओ/जीसी (वड़ोदरा–सुरत)बीओटी]

संजय बंदोपाध्याय, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

## NOTIFICATION

New Delhi, the 28th March, 2014

**S.O. 964(E).—**Whereas, in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highway Act 1956 (48 of 1956) read with the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008, the Central Government by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways published *vide* S.O. No. 2980 (E) dated the 21st December, 2012, authorized National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority") for levying and collecting fee on mechanical vehicles for the use of the bridges constructed across river Narmada at Zadeshwar in the years 1997 & 2000 in the area from km 192.000 to km 198.000 of National Highway No. 8 (herein after referred to as the "said section") at the rates and category of vehicles specified in its schedule.

And whereas, pursuant to the provision of section-14 of the National Highways Authority of India Act (68 of 1988), the Authority entered into an Agreement on 23rd July, 2012 (hereinafter referred to as said "Agreement") with M/s Narmada Bridge Tollway Limited, Mumbai (hereinafter referred to as the "Concessionaire") for the project of Six laning of kilometer 192.000 to kilometer 198.000 between Vadodara-Surat Section of NH–8 i.e. said section including construction of new four lane extra Dozed Bridge across river Narmada in the State of Gujarat on DBFOT (Toll) basis under Phase NHDP-V;

And whereas, in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highway Act 1956 (48 of 1956) read with the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008, the Central Government by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways published *vide* S.O. No. 485 (E) dated 27th February, 2013 (superseding the notification bearing S.O. No. 2980 (E) dated 21st December, 2012) authorized the Concessionaire for levying and collecting fee on mechanical vehicles for the use of the said section on and from the Date of Commercial Operation till the termination date.

And whereas, a Memorandum of Understanding was entered between the Authority and the Concessionaire on 17th July, 2013 for rehabilitation work of Existing Narmada Bridge and subsequent foreclosure of the Agreement dated 23rd July, 2012.

And whereas, the Authority was requested by Ministry of Road Transport and Highways *vide* letter No. H-39011/32/2013-P&P (Toll) dated 20th January, 2014 for taking action for issuing the notification for stopping the levying of user fee on old bridges on River Narmada.

And whereas, the Date of Commercial Operation was not declared and the Agreement dated 23rd July, 2012 has been foreclosed by the Authority on 7th February, 2014 on mutual consent basis.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 as amended from time to time, the Central Government hereby rescinds the notification bearing S.O. No. 485 (E) dated 27th February, 2013.

[F. No. NHAI/13013/722/12-13/CO/GC (Vadodara-Surat) BOT]

SANJAY BANDOPADHYAYA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.